HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 606/2026

Prakash Ojha S/o Shri Shyam Sundar Ojha, Aged About 36 Years, R/o Fulbawadi, Chhoti Khatu, Didwana.
(At Present Confined In Central Jail Ajmer).

----Petitioner/Accused

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

------Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Devanshu Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

25/02/2026

कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप वेव किये जाते हैं।

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–क्रिश्चियनगंज, जिला–अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–338/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 318(4), 61(2)(a) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र पेश होने के उपरांत नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त दिनांक 05.11.2025 से अभिरक्षा में है, उसके विरूद्ध अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, सह–अभियुक्त राजू, नरेश, भवानीशंकर, नंदकिशोर व राजकुमार की जमानत मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा

स्वीकार की जा चुकी है, शेष विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया कि अभियुक्त के विरुद्ध वृहद स्तर पर संगठित गिरोह बनाकर सैंकड़ों लोगों के बैंक खाते खुलवाकर साईबर फ्रॉड आदि के आरोप हैं, बैंक खातों के संबंध में तथा बकाया अभियुक्तगण के विरुद्ध अभी तक अनुसंधान होना शेष है, मात्र 60 दिन की अभिरक्षा की अवधि पूर्ण होने के आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया है। यह भी निवेदन किया कि इस स्टेज पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो बकाया अनुसंधान विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है, अंत में यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत मजदूर वर्ग की महिलाओं व पुरुषों को जीओ कंपनी के कस्टमर बनाने व कंपनी मालिक द्वारा 2,500/–रूपये परिलाभ दिये जाने का झांसा देकर उनके पहचान दस्तावेज आदि प्राप्त कर मोबाईल सिम प्राप्त की और उसके आधार पर अभियुक्त द्वारा ही भारी संख्या में बैंक खाते खुलवाकर साईबर फ्रॉड के अनुक्रम में सह–अभियुक्त फिरोज खान को 17, पवन चौधरी को 30 व देवकरण को 17 बैंक खाते विक्रय किये गये। प्रार्थी–अभियुक्त से 4 एंड्रॉयड मोबाईल, 2 की–पेड मोबाईल, 1 ऑप्टिकल फिंगर प्रिंट मशीन तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के 2 साउण्ड बॉक्स आदि भी बरामद हुए हैं। सह–अभियुक्तगण की जमानत होना बताया गया है, उनसे प्रार्थी–अभियुक्त का मामला भिन्न है, प्रार्थी इस मामले में इस गिरोह का सक्रिय सदस्य होना बताया गया है। सह–अभियुक्तगण के साथ संपर्क के दौरान जो मैसेज भेजे गये हैं, उनके अनुसार भी अभियुक्त की इस मामले में लिप्तता प्रकट हुई है।

अभियुक्त दिनांक 05.11.2025 से अभिरक्षा में है, मात्र 60 दिन की अभिरक्षा की अवधि पूर्ण होने के आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध आरोप

पत्र पेश किया गया है। अधिकांश अभियुक्त फरार हैं, बैंक खातों में फ्रीज राशि से संव्यवहार के संबंध में भी अनुसंधान होना शेष है। इस प्रकार के अपराध की प्रकृति आर्थिक व्यवस्था, बैंक व्यवस्था आदि को नुकसान पहुंचाने के साथ–साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न करती है तथा गरीब व्यक्ति जिनके नाम से इस प्रकार से खाता खुलवाया गया है, उनका भी अनावश्यक उत्पीड़न होता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष अनुसंधान होना आवश्यक है। इस प्रकार के अनुसंधान में युक्तियुक्त समय लगना स्वाभाविक है, बकाया अभियुक्तगण के विरुद्ध तथा बैंक खातों में राशि के आदान–प्रदान आदि के संबंध में भी अनुसंधान शेष है। इस स्टेज पर यदि अभियुक्त को जमानत सुविधा दी गई, तो उपलब्ध हो सकने वाली साक्ष्य व सूत्र समाप्त हो सकते हैं तथा अनुसंधान विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर खारिज किया जाता है।

विद्वान लोक अभियोजक के माध्यम से अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बकाया अनुसंधान यथासंभव तीन माह में पूर्ण करने का प्रयास करें। तीन माह पश्चात् अभियुक्त की ओर से नवीन जमानत आवेदन पेश किया जाता है, तो उस पर नये सिरे से सुनकर विचार किया जायेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /80 (S)